UPJB010036642026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), अमरोहा।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–958/2026

CNR NO–10036642026

दीपक बनाम उ0प्र0 राज्य।

अपराध सं0–213/2025

धारा–115(2), 352, 351(2),118(1),76 बी.एन.एस. व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)(Va) एस.सी/एस.टी एक्ट

थाना–मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा।

दिनांकः 22.06.2026

अभियुक्त **दीपक पुत्र रामदास** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र **अपराध सं0–213/2025**, एस.टी.सं0–586/2025 धारा–**115(2), 352, 351(2), 118(1), 76 बी.एन.एस. व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)(Va) एस.सी/एस.टी एक्ट** थाना मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा के अन्तर्गत जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.05.2025 को समय करीब 05.30 बजे प्रार्थिनी (मोनिका) अपने घर के पास खड़ी थी कि अचानक मोनी व पूजा दोनों ने प्रार्थिनी के साथ गाली–गलौच शुरू कर दी इसके बाद प्रार्थिनी ने रामदास से इस बात की शिकायत की तो रामदास व दीपक ने उल्टा प्रार्थिनी को ही गाली गलौच करना शुरू कर दी व इन सब ने प्रार्थिनी के साथ लाठी डण्डों व लात घूसों से मारपीट की। शोर शराबा होने पर गांव के लोग आ गये जिन्हें देखकर ये लोग यह कहते हुए कि आज तो बच गयी आगे अगर शिकायत करने आयी तो जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थिनी की उक्त सूचना के आधार पर संबंधित थाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–115(2), 352, 351(2), 118(1) बी.एन.एस. में प्राथमिकी दर्ज की गयी। विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 118(1), 76 बी.एन.एस. व 3(1)द,3(1)ध व 3(2)(Va) एस.सी/एस.टी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

3. अभियुक्त का कहना है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमे मे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। वादी उपरोक्त वादनी मोनिका के दर्शित गवाहान एक ही परिवार के सदस्य है जो कि आपस मे एक–दूसरे के हितबद्ध है। कथित घटना के समय प्रार्थी कथित घटना स्थल पर नही था और ना ही मौके से गिरफ्तार है। प्रार्थी का पूर्व मे कोई अपराधिक इतिहास नही है। कथित घटना दिनांक 12.05.2025 को समय करीब 17:30 बजे की दर्शाई जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 को समय 19:39 बजे दर्ज कराई जाती है जो कि काफी विलम्ब से सोच विचार करके दर्ज कराई गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया गया है जबकि थाने की दूरी कथित घटना स्थल से मात्र सात किलो मीटर है। रामदास पुत्र शंकर के घर पर रामायण कापाठ हो रहा था रामायण के पाठ मे लाउडस्पीकर को लेकर रामदास व मोनिका के मध्य कहा सुनी हो गयी थी उसी कहाँ सुनी को लेकर बदले की भावना से मोनिका ने यह झूठा मुकदमा लिखाया है।9. प्रार्थी सीधा–सादा सज्जन, शांतिप्रिय व न्यायप्रिय व्यक्ति है। वादनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर गन्दी गन्दी गालियाँ देने का आरोप भी मुल्जिामन पर नही लगाया है। प्रार्थी की सह–अभियुक्ता गुड़िया उर्फ संतोष की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 31.01.2026 को स्वीकृत हुई है। प्रार्थी ने मोनिका के साथ कोई मारपीट नही की है और ना ही गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करेगा, अतः जमानत की याचना की गयी है।

Digitally signed by HEMLATA TYAGI
Date: 2026.06.22 17:05:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को विवस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसके साथ खरतनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए मारपीट करने, गाली–गलौच करने एवं जान से मारने धमकी देने और अनूसूचित जाति का सदस्य जानते हुए साशय लोक दृश्य वाले स्थान पर उसे जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौंच कर अपमानित करते हुए अनुसूची में वर्णित अपराध किया गया है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

5. इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय – प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी धाराए सात वर्ष तक की सजा की अवधि से दण्डनीय है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त को बी.एन.एस.एस. की धारा 35(3) का नोटिस तामील कराकर गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामलें में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सहअभियुक्ता की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त मामलें में अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर हैं। जमानत की शर्तों का कोई उल्लघन नहीं किया गया है। विचारण में समय लगना सम्भावित है। बिना गुण–दोष पर विचार किये जमानत का आधार पर्याप्त है।

6. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त दीपक को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत हो रहा है। अतः अभियुक्त मुव 50,000/–रूपये का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक सन्तोषजनक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए–

1– दौरान विवेचना, विवेचना में सहयोग करेगा व हस्तक्षेप नहीं करेगा।
2– विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत करने पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सहयोग करेगा।
3– गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, गवाह आने पर जिरह करेगा।
4– यदि जमानती दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना अभियुक्त को तत्काल न्यायालय को देनी होगी और अपना समर्पण न्यायालय के समक्ष करते हुए नये प्रतिभू उपलब्ध कराने होंगे, ऐसा न होने पर यह आधार जमानत निरस्तीकरण के लिये पर्याप्त होगा।
5– अभियुक्त यदि बंधपत्र में दिये गये अपने पते में परिवर्तन करता है तो इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को या आरोप पत्र आ जाने पर न्यायालाय को देनी होगी। इस शर्त का पूरा कराने का दायित्व भी प्रतिभूगण का होगा।

उपरोक्त शर्तों का प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)
अमरोहा।